



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल  
(उत्तराखण्ड)-263001

Kumaun University, Nainital  
Uttarakhand-263001

पत्रांक:केयू/आर.ओ./2025-27/2025/127

दिनांक 14 अगस्त 2025

(उत्तराखण्ड राज्य संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा-2025-27)  
(UTTARAKHAND STATE COMBINED B.ED. ENTRANCE TEST - 2025-27)

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड के राज्य विश्वविद्यालयों (कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा) से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित/निजी बी0एड0 शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-27 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 07 सितंबर, 2025 (रविवार) को गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है-

01	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 16 अगस्त, 2025
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 अगस्त, 2025
03	परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि (ऑनलाईन)	दिनांक 31 अगस्त, 2025
04	प्रवेश परीक्षा की तिथि	दिनांक 07 सितम्बर, 2025
05	उत्तरकुंजी अपलोड करने की तिथि	दिनांक 09 सितम्बर, 2025
06	आपत्तियाँ उत्तरकुंजी समाधान तिथि	दिनांक 16 सितम्बर, 2025
07	प्रत्याशित परिणाम घोषणा की तिथि	दिनांक 19 सितम्बर, 2025
08	काउंसलिंग की अपेक्षित तिथि	दिनांक 20 सितम्बर, 2025
प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण-		
01	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रु0 1575.00
02	अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु	रु0 1050.00
काउन्सलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार होगा-		
01	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रु0 735.00
02	अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु	रु0 420.00
03	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कुल शुल्क का भुगतान	रु0 2360.00
04	अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु कुल शुल्क का भुगतान	रु0 1520.00

प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं काउन्सलिंग शुल्क प्रवेश परीक्षा आवेदन भरते समय एक साथ जमा होगा। बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-27 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट <https://ukentrance.samarth.edu.in> से प्राप्त कर सकते हैं।\*समर्थ पोर्टल पंजीकरण शुल्क के लिए पचास रुपये अतिरिक्त प्रवेश शुल्क में शामिल किए गए हैं।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति जी को, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल।
3. कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
4. परीक्षा नियन्त्रक/ वित्त नियंत्रक, संबंधित विश्वविद्यालय।
5. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, राज्य नोडल अधिकारी, समर्थ पोर्टल, उत्तराखण्ड।

93m  
I/c कुलसचिव 14/8/25

43m  
I/c कुलसचिव 14/8/25

**UTTARAKHAND STATE COMBINED B.ED. ENTRANCE TEST**

**SESSION 2025–27**

(Kumaun University, Nainital,  
Sri Dev Suman Uttarakhand University, Tehri Garhwal,  
& Soban Singh Jeena University, Almora)

**Department of Higher Education, Government of Uttarakhand**

---

**Information Brochure/Bulletin for**  
**B.ED ENTRANCE EXAMINATION FOR ACADEMIC**  
**SESSION: 2025–27**

---

**विवरणिका**  
**बी०एड० प्रवेश परीक्षा**  
**सत्र 2025–2027 हेतु**

## आवश्यक दिशा-निर्देश

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन पद्धति से भरा जायेगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

### बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2025-27 के लिये प्रवेश परीक्षा केन्द्र

01- श्रीनगर	02- कर्णप्रयाग	03- अगस्तमुनि
04- नई टिहरी	05- उत्तरकाशी	06- कोटद्वार
07- देहरादून	08- रुड़की	09- ऋषिकेश
10- हल्द्वानी	11- काशीपुर	12- खटीमा
13- रुद्रपुर	14- नैनीताल	15- रामनगर
16- बागेश्वर	17- अल्मोड़ा	18- द्वाराहाट
19- चंपावत	20- पिथौरागढ़	

नोट:- प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा किया जायेगा, केन्द्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र उन्हीं संस्थाओं को बनाया जायेगा, जिनकी स्वच्छ परीक्षा की ख्याति रही होगी। यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों के किसी 01 परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो उस परीक्षा केन्द्र को आवश्यकतानुसार निकटस्थ परीक्षा केन्द्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

## प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम

	प्रश्न पत्र का नाम	अवधि	अधिकतम अंक	अनिवार्यता
Paper-1	A-Language Test (*Hindi or English) भाषा ज्ञान परीक्षण (हिन्दी अथवा अंग्रेजी)	01:30 घन्टे	50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B-General Knowledge & Reasoning सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति परीक्षण		50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
Paper -2	A-Teaching Aptitude अध्यापन योग्यता	01:30 घन्टे	50 अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B-Optional Subject Aptitude Test वैकल्पिक विषय योग्यता परीक्षण		50 अंक (50 प्रश्न)	वैकल्पिक **

\* विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा।

\*\* प्रत्येक परीक्षार्थी निम्नांकित में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा-

1. कला वर्ग (Arts Group)
2. वाणिज्य वर्ग (Commerce Group)
3. विज्ञान वर्ग (Science Group)

परीक्षा में सफल होने के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न-पत्रों को मिलाकर 40 प्रतिशत अर्थात् कुल 80 अंक लाना अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न-पत्रों को मिलाकर 27 प्रतिशत अर्थात् कुल 54 अंक लाना अनिवार्य होगा।

नोट:-

1. विद्यार्थी को दोनो प्रश्न-पत्रों (Paper1 & Paper2) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न-पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को एक अंक प्रदान किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं दिया जायेगा।

## बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-27 (दो वर्षीय)

### 1. आवश्यक निर्देश (Important Instruction)

अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र एवं इस विवरणिका में अंतिम निर्देशों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होना अनिवार्य है।

### 2. अवधि

बी0एड0 कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष (वार्षिक/सैमेस्टर आधार) की अवधि का होगा। तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष/छः सैमेस्टर तक पूर्ण कर सकता है।

### 3. कार्य दिवस

- 3.1 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार NCTE/UGC द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों में पठन-पाठन हेतु विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 3.2 सभी पाठ्यक्रमचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिये छात्र-अध्यापकों हेतु न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90 प्रतिशत होगी।

### 4. पात्रता (Eligibility)

- 4.1 परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम 3.2 को पूर्ण करता है इसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 49.99 प्रतिशत को 50 प्रतिशत नहीं पढा जायेगा। इसके अतिरिक्त इंजिनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 4.2 उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 44.99 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नहीं पढा जायेगा। उक्त अर्हता पूर्ण न किये जाने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इंजिनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में किसी एक को चुनना होगा।

- \* बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। अतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होगा। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के एक सत्र में दो पाठ्यक्रमों (क्रमशः-नियमित अथवा व्यावसायिक) (Regular & Professional Course) में प्रवेश एवं अध्ययन की सूचना प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- \* बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्णरूप से नियमित पाठ्यक्रम (Regular Course) है। यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो उसे काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- \* ऐसे विद्यार्थी जोकि अर्हता परीक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) के अन्तिम वर्ष/सैमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं (Students Appearing in the final year of Eligibility Examination) को भी इस प्रतिबन्ध के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विद्यार्थी को बी0 एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग से पूर्व अपनी अंकतालिका(प्राप्त अंकों का विवरण) प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने की दशा में ही उसका अभ्यर्थन अनुमन्य होगा। न्यूनतम अर्हता पूर्ण न किये जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4.3 यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

4.4 जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा सी0जी0पी0ए0 (CGPA) आधारित अंक पत्र निर्गत किये गये हों, उन अभ्यर्थियों के अंको की गणना विश्वविद्यालय के मानकानुसार सी0जी0पी0ए0 (CGPA) को प्रतिशत अंको में बदलते हुये की जायेगी। इसका अंकपत्र/प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा काउन्सिलिंग के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

## 5 प्रवेश हेतु आरक्षण (Reservation)

5.1 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्रों में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा।

### 5.2 आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है-

क.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14 प्रतिशत
	अनुसूचित जाति (SC)	19 प्रतिशत
	अनुसूचित जनजाति (ST)	04 प्रतिशत
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10 प्रतिशत (स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त)

नोट:-केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार देय होगा तथा यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु होगा—

ख.	दिव्यांग (Disabled)	05 प्रतिशत
	महिलायें (Women)	30 प्रतिशत
	भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) (Ex-Army Personnel)	05 प्रतिशत
	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of Freedom Fighter)	02 प्रतिशत

- 5.3 आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाणकों पर ही दिया जाएगा। पृथक से भाषावद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाणपत्रों की जांच के समय संज्ञान लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।
- 5.4 अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे जो कि नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं हैं।
- 5.5 दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक-बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नहीं होगा।
- 5.6 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जांच तथा प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।
- 5.7 भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) प्रवेशार्थी, सम्बन्धित कमांडिंग ऑफीसर/सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जांच के समय प्रस्तुत करने पर ही वांछित लाभ के पात्र होंगे।
- \* उत्तराखण्ड शासन द्वारा तथा एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों को लागू किया जायेगा।

## 6. अन्य निर्देश

- 6.1 ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में जमा नहीं होगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा काउन्सिलिंग के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। परीक्षा शुल्क चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।
- 6.2 बी0एड0 सत्र 2025-27 प्रवेश परीक्षा आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें तथा सम्बन्धित वर्ग एवं श्रेणी पर तदनुसार अंकित करें, किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 6.3 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में आरक्षण दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अधिमान अंको हेतु इस विवरणिका के बिन्दु सं0 7.3 (क एवं ख) में वर्णित प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा बिन्दु सं0 7.3 (ग, घ, ङ एवं च) के प्रमाण पत्र इस विवरणिका में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही होने चाहिए।
- 6.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।

*Handwritten signature*

- 6.5 ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक सम्बन्धी अथवा कोई भी अन्य प्रमाण पत्र का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.6 बी0एड0 प्रशिक्षण में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं है। जिस संस्थान में प्रवेश आवंटित होगा उसी महाविद्यालय से बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। कोई प्रशिक्षणार्थी स्थानान्तरण हेतु आवेदन न करें।
- 6.7 किसी भी अभ्यर्थी का वर्ग (Category) परिवर्तित नहीं होगा। अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अंकित किया है उसका वर्ग वही सही होगा।
- 6.8 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग लिखें, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई आदि।
- 6.9 बी0एड0 कक्षा में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा उन्हें आवेदन भरने से पहले ध्यान से पढ़ लीजिए।
- 6.10 यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र जाली/फर्जी पाये गये तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा, तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- 6.11 किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा, और न ही आगामी प्रवेश परीक्षा हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
- 6.12 यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त किये बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- 6.13 जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- 6.14 इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है।
- 6.15 जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हें अन्य राज्य वर्ग में रखा जायेगा। परन्तु उत्तराखण्ड निवासी ने यदि स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उत्तराखण्ड राज्य वर्ग में रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 6.16 बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जाये कि अभ्यर्थी बी0एड0 प्रशिक्षण के लिये पूर्णतः स्वस्थ है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।
- 6.17 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण विवरण देने पर ही विश्वविद्यालय कार्यालय उत्तर दे सकेगा तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।
- 6.18 वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जायेगा। इस प्रकार दो समूह होंगे।

13

(1) (कला एवं वाणिज्य) कला समूह

(2) विज्ञान समूह

परन्तु एप्टीट्यूट टेस्ट-कला वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिये अलग-अलग होगा। अभ्यर्थी केवल उसी समूह (Group) को चुन सकता है जिस समूह (Group) से उसने स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो।

6.19 अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्ग (Category) एवं उपवर्ग हैं जो कि शासनादेश के अनुसार संशोधित किये गये हैं।

वर्ग (Category)	कोड	उपवर्ग	कोड
सामान्य (Category)	(Gen)	दिव्यांग (Disabled)	PWD
अनुसूचित जाति (SC)	(SC)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित	FF
अनुसूचित जनजाति (ST)	(ST)	भूतपूर्व सैनिक स्वयं अभ्यर्थी	Ex-S
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	(OBC)	महिला अभ्यर्थी	W

विशेष:- एक अभ्यर्थी केवल एक ही वर्ग चुन सकता है। एक बार वर्ग (Category) को चुनने के उपरान्त अन्य किसी वर्ग में समायोजन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

6.20 प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के दावे के आधार पर प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग करायी जायेगी, किसी भी प्रकार की गलती अथवा भ्रामक जानकारी आवेदन पत्र में भरने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।

6.21 प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त विभिन्न सम्बद्ध संस्थानों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जायेगी।

922

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में सत्र 2025-27 में बी0एड0 कक्षाओं हेतु महाविद्यालय एवं संस्थानों की सूची

क्र०स०	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	सीट का प्रकार		कुल सीट
		राजकीय	स्ववित्त पोषित	
01	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर।	50	50	100
02	डॉ० पी०द०ब०हि० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार।	50	50	100
03	के०एल०डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज, रूडकी, हरिद्वार।	50	-	50
04	डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल, पौड़ी।	-	50	50
05	वी०श०के०च० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून।	-	50	50
06	भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल, पौड़ी।	-	50	50
07	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा, पौड़ी।	-	50	50
08	अनूसूया प्रसाद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग।	-	50	50
09	राम चन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी।	-	50	50
10	जगन्नाथ विश्वा कालेज ऑफ एजुकेशन, डोईवाला।	-	100	100
11	माया देवी एजुकेशनल फाउन्डेशन, देहरादून।	-	100	100
12	निम्बस स्कूल ऑफ एजुकेशन, सुद्धोवाला, देहरादून।	-	100	100
13	बीहाईव कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी, देहरादून।	-	100	100
14	ब्लू माउटेन कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, देहरादून।	-	50	50
15	एस०बी० कालेज ऑफ एजुकेशन, विकासनगर, देहरादून।	-	100	100
16	शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, शिमला बाईपास रोड, देहरादून।	-	Nil	Nil
17	सनराइज एकेडमी मैनेजमेन्ट सोसायटी, रायपुर रोड, देहरादून।	-	100	100
18	पिट्स बी०एड० कालेज, मानपुर, उत्तरकाशी।	-	100	100
19	एस०जी०बी०जी० मेमोरियल कालेज ऑफ एजुकेशन, देवाल, चमोली।	-	100	100
20	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलोजी, जिलासू, लंगासू, चमोली।	-	100	100
21	अरिहन्त एजुकेशन सोसायटी, दौलतपुर, हरिद्वार।	-	100	100
22	अरोमा गर्ल्स कालेज, नियर पतंजलि, हरिद्वार।	-	100	100
23	आर्यन कालेज ऑफ एजुकेशन, रूडकी, हरिद्वार।	-	100	100
24	आशा एकेडमी, हरिद्वार।	-	100	100
25	बी०एस०एम० वूमन बी०एड० कालेज, रूडकी, हरिद्वार।	-	100	100
26	चौ० भरत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, हरिद्वार।	-	100	100
27	हरीशचन्द्र रामकली बी०एड० कालेज, लक्सर, हरिद्वार।	-	100	100
28	हर्ष विद्या मन्दिर कालेज ऑफ एजुकेशन, रायसी, हरिद्वार।	-	100	100
29	नॉर्दन इण्डिया कालेज ऑफ एजुकेशन, हरिद्वार।	-	100	100
30	ओम बायो साइंस एण्ड फार्मा कालेज ऑफ एजुकेशन, हरिद्वार।	-	100	100
31	रूडकी कालेज ऑफ एजुकेशन, रूडकी, हरिद्वार।	-	100	100
32	डी०डी० इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, देहरादून।	-	100	100
33	संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, रूडकी।	-	100	100
34	श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, देहरादून।	-	100	100

*Signature*

**कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल में सत्र 2025-27 में बी0एड0 कक्षाओं हेतु महाविद्यालयों एवं संस्थानों की सूची**

क0स0	परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का नाम	सीट का प्रकार			कुल सीट
		राजकीय	स्ववित्त पोषित	निजी	
1	एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी	50	50	-	100
2	लाल बहादुर शास्त्री, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड, नैनीताल	50	-	-	50
3	पी0एन0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर	-	50	-	50
4	हेमवती नन्दन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा	-	50	-	50
5	राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर	-	50	-	50
6	सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर	-	50	-	50
7	आग्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, शिक्षानगर लामाचौड, हल्द्वानी, नैनीताल	-	-	100	100
8	इन्सपेरेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पॉलशीट, काठगोदाम, नैनीताल	-	-	100	100
9	जय अरिहन्त एकेडमी इन्स्टीट्यूट, अरिहन्त एजुकेशनल पार्क, हल्दूचौड, हल्द्वानी	-	-	100	100
10	जय अरिहन्त कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, हल्दूचौड, हल्द्वानी	-	-	100	100
11	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड एलाईड कोर्सेज, बरेली रोड हल्द्वानी	-	-	100	100
12	पॉल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, आर0टी0ओ0 रोड, कुसुमखेडा, हल्द्वानी	-	-	100	100
13	हरमन माइनर डिग्री कॉलेज, भीमताल	-	-	100	100
14	स्वामी विवेकानन्द प्राइवेट कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, किशनपुर गोलापार, हल्द्वानी, नैनीताल	-	-	100	100
15	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, हल्द्वानी	-	-	100	100
16	अलकैमिस्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खेतलसण्डा, खाम, खटीमा	-	-	100	100
17	बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, चीनीमिल रोड गदरपुर	-	-	100	100
18	चन्द्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर	-	-	50	50
19	डी0पी0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी फार्म बाजपुर	-	-	100	100
20	देवभूमी इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कच्ची खमरिया, लालपुर रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
21	द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, दिनेशपुर रोड, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
22	हरिदेव सिंह स्मारक कॉलेज जसपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
23	एल0बी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महुआ डाबरा, जसपुर, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
24	लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
25	मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
26	पी0डी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी फार्म, बाजपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
27	पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, झनकट, खटीमा ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
28	आर0एल0एस0 मेमोरियल डिग्री कॉलेज, किशनपुर जसपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
29	एस0डी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी बाजपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
30	सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	200	200
31	श्रीगुरु नानक डिग्री कॉलेज, प्रीत बिहार रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
32	श्री गुरु नानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, ऊधम सिंह नगर	-	-	50	50
33	केशव सूर्य मुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शक्तिफार्म सितारगंज, ऊधम सिंह	-	-	100	100

	नगर				
34	श्री साई शिक्षण संस्थान, महुआ डाबर, जसपुर, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
35	श्रीराम इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
36	सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, बी0एड0 कॉलेज, किच्छा, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
37	काशीपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महुआ खेड़ा गंज काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100
38	शहीद कैप्टन डी0के0 खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिनेशपुर गदरपुर, ऊधम सिंह नगर	-	-	100	100

**सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड में सत्र 2025-27 में बी0एड0 कक्षाओं हेतु महाविद्यालय एवं संस्थानों की सूची**

क्र० सं०	परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का नाम	सीट का प्रकार		कुल सीट
		राजकीय	राजकीय	
1	सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा	50	—	50
2	लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़	50	—	50
3	कुमाऊँ केसरी पं० बट्टी दत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर	—	50	50
4	स्वामी विवेकानन्द, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत	—	50	50
5	स्व० श्री जयदत्त वैला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	—	50	50
6	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग, पिथौरागढ़	—	50	50
7	मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चंपावत	—	100	100
8	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चूनाभट्टा रोड़, बनबसा चंपावत	—	100	100

**7. अधिमान अंक**

7.1 निम्नांकित अधिमान केवल बी0एड0 प्रवेश हेतु अनुमन्य हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिये अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों/स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।

7.2 अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जायेगी।

7.3 अधिमान अंकों का विवरण निम्नानुसार है —

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को —अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा —

(1) व्यक्तिगत स्पर्धा में अभ्यर्थियों द्वारा—

- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1. प्रथम स्थान पाने पर   | 15 अंक |
| 2. द्वितीय स्थान पाने पर | 10 अंक |
| 3. तृतीय स्थान पाने पर   | 05 अंक |

*CSW*

(2) टीम स्पर्धा में-

- |  |        |
|--|--------|
| 1. सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर | 15 अंक |
| 2. उपविजेता (रनर्स अप) टीम सदस्य होने पर   | 10 अंक |
| 3. प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर          | 05 अंक |

नोट- (1) उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत स्पर्धा में से केवल एक ही स्पर्धा का लाभ देय होगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा स्पर्धा में भाग किया है तो उसे एक ही टीम/ स्पर्धा का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेल कूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी भी फेडरेशन एवं किसी अन्य एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ख) निम्नलिखित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगा-

- |  |        |
|--|--------|
| 1. नेशनल कैंडेट कोर में "सी" प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 15 अंक |
| 2. नेशनल कैंडेट कोर में "बी" प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 10 अंक |

या

- |  |        |
|--|--------|
| 1. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को | 15 अंक |
| 2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को         | 10 अंक |
| 3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को   | 05 अंक |

या

- |  |        |
|--|--------|
| 1. राष्ट्रीय सेवा योजना में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को | 15 अंक |
| 2. राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को | 10 अंक |

नोट (1) एन0 एस0 एस0 में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर-प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्र समन्वयक/ प्राचार्य/परिसर निदेशक के द्वारा निर्गत मान्य होंगे।

(2) विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए। दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा।

या

- |  |        |
|--|--------|
| 1. स्काउट्स एवं गाईड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को           | 15 अंक |
| 2. स्काउट्स एवं गाईड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को            | 10 अंक |
| 3. स्काउट्स एवं गाईड्स का ध्रुव पद या गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को | 05 अंक |

नोट:- उपर्युक्त वर्णित मद (ख) में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा।

- |  |        |
|--|--------|
| (ग) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पुत्र का पुत्र/अविवाहित पुत्री  | 15 अंक |
| (घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा | 15 अंक |

13/11

कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो

(ड) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0 ए0 सी0 या बी0 एस0 एफ0 या एस0 एस0 बी0/आई0 टी0 बी0 पी0/सी0 आर0 पी0 एफ0/होम गार्डस में सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो जो कार्यरत या सेवानिवृत्त अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हो गए हों

15 अंक

नोट:- बिन्दु(ग) के पात्र प्रवेशार्थी सम्बन्धित कमांडिंग आफिसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा (घ) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता/पिता दोनों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 15 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाणपत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(च) ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्याक्ता हो

15 अंक

नोट- विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्याक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाणपत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोट:- (1) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त (क) से (च) तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।

(2) स्वयं अभ्यर्थी या माता/पिता के एक ही विभाग में कार्यरत होने पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रमाणपत्र के आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। अधिकृत एवं कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे, तथा ऐसे प्रमाण पत्रों में अधिभार अंक देय नहीं होंगे। प्रमाणपत्र जो नियमों एवं मानकों के अनुसार नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

8. प्रवेश परीक्षा शुल्क:-प्रवेश-परीक्षा शुल्क: ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु0 2360 (रुपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एवं अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु0 1520 (रुपये एक हजार पाँच सौ बीस मात्र) है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को समर्थ पोर्टल की वेबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in> में दिये लिंक Home Page में जाकर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् करना होगा।

आवेदन शुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नैटबैंकिंग, क्यू0आर0 कोड तथा यू0पी0आई0 के माध्यम से जमा किया जायेगा। आवेदन-शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।

9. प्रवेश-परीक्षा हेतु आवेदन: सत्र 2025-27 की प्रवेश-परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रिंट आउट(Printout)को अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखेंगे। व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र भरना:

10.1 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को समर्थ पोर्टल की वेबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in> में दिये गये लिंक के होमपेज(home page) में ऑनलाइन जाना पड़ेगा।

10.2 होम पेज में आवेदन-पत्र भरने हेतु दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं-

10.2.1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को अनिवार्य



रूप से पढ़ लें तथा अपनी अर्हता के बारे में सुनिश्चित हो जाएं। एक बार प्रवेश –परीक्षा शुल्क जमा हो जाने पर उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।

- 10..2.2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र में अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल पते को अवश्य भरें। इन दोनों को प्रवेश–प्रक्रिया सम्पादित होने तक चालू स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10..2.3 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सभी दृष्टिकोण से पूरा करना है तथा अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर को वैबसाइट के सम्बन्धित बॉक्स में अपलोड करने हैं।
- 10..2.4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करने के पश्चात् सभी प्रविष्टियों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें, यदि कोई त्रुटि हो तो उसे Edit Application द्वारा सुधार कर शुल्क जमा करें। एक बार शुल्क जमा किए जाने के पश्चात् इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता।

#### **Main Steps to apply online**

- Apply for Online Registration
- Fill Online Application Form
- Pay Examination Fee
- Download fee Receipt
- Download Final Application

10.3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न चरणों का अनुक्रम (Steps) निहित हैं–  
चरण – 1: पाठ्यक्रम Bachelor (Under graduate Programmes) का चयन करें।

चरण – 2: पाठ्यक्रम (बी0एड0) का चयन करें।

चरण – 3: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन करें।

चरण –4: अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वैबसाइट के होम पेज पर Apply Online द्वारा नये पंजीकरण हेतु नाम, मोबाइल नम्बर एवं स्वयं का ई–मेल का पता तथा स्वयं द्वारा चुना गया पासवर्ड भर पंजीकरण (Registration) कराना है।

पंजीकरण (Registration) करते समय अभ्यर्थी यह भली–भाँति जाँच ले कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है अथवा नहीं पंजीकरण (Registration) करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड ई–मेल व पासवर्ड के द्वारा वैबसाइट पर लॉगईन करना होगा।

चरण –5:लॉग–इन करने के पश्चात् पंजीकरण (Registration Tab) टैब में जाकर दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन करना होगा इसके पश्चात् दी गयी शर्तों से सन्तुष्ट होने पर आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र, वर्ग, पाठ्यक्रम, श्रेणी, उप–श्रेणी, पता, अर्हता सम्बन्धी जानकारी भरी जानी है तत्पश्चात् अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (पूर्ण फोटोग्राफ का 80% face cover) तथा हस्ताक्षर अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात् Submit करना होगा (10 -500 KB limit for all documents) ।

आवेदन पत्र को Submit करने के उपरान्त वैबसाइट पर दिए गए Pay Fee लिंक की सहायता से शुल्क जमा करना होगा। आवेदन–शुल्क सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु (रू0 2310.00 दो हजार तीन

सौ दस रुपये मात्र) एवं अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु (रू0 1470.00 एक हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र) जमा करेगा, जिस हेतु उसे ऑनलाईन शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु इण्टरनेट बैंकिंग अथवा क्रेडिट/डैबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। शुल्क जमा किये जाने की रसीद को अभ्यर्थी प्रिंट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ले। शुल्क जमा करने से पूर्व आप Update Application की सहायता से आवेदन पत्र में कितनी ही बार परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु एक बार शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः कृपया शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र की भली-भाँति जाँच कर लें तदुपरान्त ही शुल्क जमा करें।

#### 11. प्रवेश-परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र प्राप्त करना:

- 11.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश-परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश-पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
- 11.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश -पत्र समर्थ पोर्टल की वैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in> में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश-पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

12. परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रवेश/काउन्सलिंग: प्रवेश-परीक्षा में प्राप्तांकों एवं देय अधिमान तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश-परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची समर्थ पोर्टल की वैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in> के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

12.1 विश्वविद्यालय में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों, अधिमान अंको व आरक्षण संबंधित प्रमाणपत्रों की जाँच (Verification) के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी तथा इस वरीयता सूची के आधार पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउन्सलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। बी0एड0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वैबसाइट <https://ukentrance.samarth.edu.in> पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा-परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

12.2 प्रमाण पत्रों की जाँच- प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है -

- अ - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंक पत्र/प्रमाण पत्र
- ब - इण्टरमीडिएट अंक पत्र/प्रमाण पत्र
- स - स्नातक/स्नातकोत्तर/अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका
- द - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र
- य - क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र
- र - प्रिंट -आउट (printout) किया गया आवेदन पत्र समस्त प्रमाणपत्रों/ अधिभार अंक प्रमाण पत्रों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।
- ल - चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।

*CSM*

### 13. अन्य निर्देश:

- 13.1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 13.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। मूल प्रमाण पत्र प्रमाण पत्रों की जाँच तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ट परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।
- 13.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13.4. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी के लिये [email-admissions@kunainital.ac.in](mailto:email-admissions@kunainital.ac.in) हैं।
- 13.5. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार की आप्पति हो वो परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन दिनों के भीतर अपना प्रत्यावेदन आनलाईन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 13.6. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-27 एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।

९३२८  
कुलसचिव(२०)

## प्रमाण-पत्र I (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....आत्मज/आत्मजा  
श्री..... निवासी .....  
तहसील.....जनपद..... उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग की  
श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे  
बच्चों में फ़ैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के  
लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित  
जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोट:- न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या  
इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

## प्रमाण-पत्र II (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि .....श्री / श्रीमती / कु०.....  
आत्मज / आत्मजा श्री..... प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) ..... पर कार्य  
कर रहे हैं / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी / वह अपंग सेवानिवृत्त  
हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु० ..... इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित  
ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

## प्रमाण-पत्र III (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....आत्मज/आत्मजा  
श्री.....भूतपूर्व सैनिक ने.....के पद पर कार्य किया/ससम्मान  
सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित  
ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण-पत्र IV (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित  
अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा  
श्री.....शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा  
श्री/श्रीमती/कु०.....इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी  
उपजिलाधिकारी

नोट:- प्रमाण-पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण-पत्र V (विधवा या तलाकशुदा/परित्याक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु )

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा  
श्री..... एक विधवा/ तलाकशुदा/ परित्याक्ता महिला हैं, इनके पति  
श्री .....की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्याक्ता दिनांक .....को कर  
दिया गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित  
उपजिलाधिकारी

नोट:- कानूनी प्रमाण-पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है। यह प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाण-पत्र VI (पुलिस / पी०ए०सी० / होमगार्ड / बी०एस०एफ० / एस०एस०बी० या आई०टी०बी०पी० / सी०आर०पी०एफ० के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा  
श्री.....विभाग.....पद.....पर सक्रिय पूर्णकालिक  
स्थायी रूप से सेवारत हैं/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सील सहित  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर  
पी०ए०सी० / होमगार्ड / बी०एस०एफ० / एस०एस०बी० / आई०टी०बी०पी० / सी०आर०पी०एफ०

नोट:- होमगार्ड के लिए प्रमाण-पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।